न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 119/2022 बउनवानी पवन कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0
पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र मीना निवासी ग्राम बडीला, तहसील बामनवास
GCMS No-2022/198

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स0मा0 की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधि0 स0मा0 के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1- Shri Kamlesh meena (POS machine number 30430) was suspended while letter no. sr/prosecution/1024 date 19-5-2022 please provide reason for the suspension of Sh- kamlesh meena.

2- Shri Kamlesh meena was arrested on 3-8-2019 FIR number 193/2019 u/s 147,302,IPC. PS Bamanwas district sawai madhopur. is there information about arrest of shri kamlesh meena to DSO sawai madhopur office. if there in information about arrest of sh. kamlesh meena what action was taken against him by DSO office Sawai madhopur

3- Who distributed ration through POS machine number 30430 in August , Sep. and Oct. 2019 . Provide name, office address and the contact number of the person.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/2996 दिनांक 17.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 2995 दिनांक 17.11.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना अपीलान्ट को नियत समयावधि मे उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए नियत समयावधि मे निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे साथ ही उक्त सूचना उपलब्ध करवाने मे हुए विलम्ब के लिए सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर